न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 31 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 14.08.2023

1–कमलेश पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी घांसडी तहसील व जिला टोंक
2–कन्हैयालाल पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी घांसडी तहसील व जिला टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–जनमेज राणा पुत्र प्रभूलाल जाति ढोली निवासी पीली तलाई टोंक तहसील व जिला टोंक राज0
2–तहसीलदार टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोंक दिनांक 07.07.2023 अन्तर्गत धारा 183 सी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी जनमेज बनाम कमलेश आदि

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री औम प्रकाश राजोरा,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 26.03.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 07.07.2023 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 105 / 3 मे से रकबा 0.2023 हे.भूमि वाके ग्राम घासडी पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 सी के तहत बेदखल करने का,भूमि का सीमाज्ञान कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे व 30 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार ने दिनांक 22.06.2022 को धारा 183 (बी) के तहत निर्णय पारित किये जाने के उपरान्त अपीलांट्स ने उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय मे अपील

जिला कलेक्टर

प्रस्तुत की है,जो विचाराधीन है। धारा 183 (सी) के तहत तहसीलदार ने अधिनियम के प्रावधानो का उल्लघन करते हुये तथा अपनी क्षेत्राधिकारिता का दुरूपयोग करते हुऐ सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है,जिसका क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नही है। इसके लिये न्यायिक सिद्धान्त आर.आर.डी 2018 पेज 375,आर.बी. जे.2007 पेज 65 तथा आर.आर.डी. 2007 पेज 443 महत्वपूर्ण है, जिनमे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 183 सी सपठित धारा 4(2) आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम के तहत ऐसे मामले में केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है। तहसीलदार सिविल कारावास का दण्ड देने के लिये धारा 183 (सी) के तहत अधिकृत नही है। वास्तविकता यह है कि गोपी पुत्र कल्याण को दिनांक 10.12.1975 को ख.न. 105/4 मे 8 बीघा भूमि का आवंटन कर दिनांक 13.12.1975 को तरमीम की गयी थी,जिसका कभी कब्जा नही रहा,परन्तु अलाटमेन्ट के आधार पर ख.न. 105/3 का नामान्तरकरण भर दिया गया जो प्रथम दृष्टया ही विधि–विधान के विपरीत है। ख.न. 105/3 की जमीन मे ग्राम पंचायत के खर्चे से एनिकट पानी/नाला की आवक के लिये बना हुआ है,जो उक्त भूमि मे से होकर निकलता है। ख.न. 105/3 की भूमि काबिल काश्त भूमि नही है। ख.न. 105/3 उसको कभी आवंटन नही हुआ तथा कब्जा भी नही रहा है। ख.न. 105/4 जगन्नाथ पुत्र सुख्खा को अतिक्रमण के आधार पर आवंटन किया गया है।ख.न. 105/6 मदन पुत्र घांसी को तथा ख.न. 105/7 गोपी पुत्र कल्याण को पुन: 1 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया जो मौके की स्थिति के विपरीत है। तहसीलदार जो कि लैण्ड होल्डर है तथा उसके अधीनस्थ गिरदावर व पटवारी ने भी इस बात की जांच नही की है।ख.न. 105/3 की भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व आई. एल.आर ने पक्षकारान की गैर मोजूदगी मे बनायी है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का भी और उनके पूर्वजो का भी कभी कब्जा नही रहा है।रेस्पोडेण्ट ग्राम घासडी मे निवास ना कर मोहल्ला पीली तलाई टोंक मे निवास करता है। गोपी पुत्र कल्याण ढोली ने ख.न. 105 मिन मे 8 बीघा भूमि का आवंटन करवाने के लिये छल–कपट कर के असत्य सत्यापन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन आदेश प्राप्त किया है। ख.न. 105/4 रकबा 8 बीघा मे कागजी एवं नुमाईशी सुपुर्दगीनामा जारी कर दिया गया है,जबकि उसका उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा,उसने एक दिन भी अपने जीवनकाल मे उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त नहीं की, उक्त आवंटन आदेश प्रथम दृष्टया ही अवेध है तथा केवल मात्र कागजी आवंटन है। ख.न. 105/4 मोके पर कोई रिक्त भूमि या अन्य को आवंटन करने हेतु उपलब्ध नही थी तथा आज भी उक्त भूमि काबिल काश्त भूमि नहीं है,यह भूमि उसर तथा खहाल भूमि है जिसमे वर्षो से एनिकट बना हुआ है तथा खाहल मे होकर पानी का निकास होता है यह भूमि मौके पर काश्त योग्य नही है।गोपी पुत्र कल्याण ढोली का देहान्त हो चुका है, उसके बाद उसके वारिसान का भी कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा तथा उन्होने भी उक्त भूमि पर काबिज रहकर कभी काश्त नहीं की है। आवंटन से पूर्व सलाहकार समिति ने भी मौके की वास्तविक स्थिति की जांच नहीं करवायी है। पटवारी ने उक्त भूमि के सम्बन्ध मे गलत रिपोर्ट पेश की है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन से पूर्व सार्वजनिक उदघोषणा जारी नही की तथा कानूनी आज्ञापक प्रावधानो के अन्तर्गत सम्बन्धित औपचारिकताये पूर्ण नही की गयी। ख.न. 105 मिन मे गलत रूप से आवंटन करवाकर 8 बीघा भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण ख.न. 105/3 मे खोला गया है जो नियमों के विरूद्ध है। ख. न. 105/3 मे कोई आवंटन नही किया गया तथा इसका कोई सुपुर्दगीनामा भी नही बना है। प्रतिपक्षी का ख.न. 105/7 रकबा 0.2529 हे. तथा खसरा नम्बर 105/3 रकबा 2. 0234 हे. से कोई सम्बन्ध या लेना देना किसी प्रकार का नही है। अपीलांट्स का खसरा

जिला कलेक्टर
टोंक

नम्बर 105/3 पर कभी भी कब्जा नही रहा है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2022 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 105/3 मे से रकबा 1.0117 हे.भूमि वाके ग्राम घासडी पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का,भूमि का सीमाज्ञान कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किये जाने के उपरान्त उक्त आदेश कि अपील न्यायालय हाजा मे अपीलांट्स द्वारा की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत अपील 183 बी मे न्यायालय हाजा द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे बेदखली का आदेश पारित किये जाने के उपरान्त भी अपीलांट्स ने पुनः रेस्पोडेण्ट की भूमि पर कब्जा किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति के सदस्य है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2072–2075 वाके ग्राम घासडी तहसील टोंक मे आराजी खसरा 105/3 रकबा 2.0234 भूमि हिस्सा 4/5 रेस्पोडेण्ट की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को अतिचारी मानते हुये,शास्ति कायम कर उक्त भूमि से बेदखल कर,भूमि का सीमाज्ञान कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने व 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। गोपी पुत्र कल्याण को दिनाक 10.12.1975 को ख.न. 105/4 मे 8 बीघा भूमि आवंटन कर दिनांक 13.12.1975 को तरमीम की गयी थी,जिसका कभी कब्जा नही रहा,परन्तु अलाटमेन्ट के आधार पर ख.न. 105/3 का नामान्तरकरण भर दिया गया है। ख.न. 105/3 की भूमि में ग्राम पंचायत के खर्चे से एनिकट पानी की आवक के लिऐ बना हुआ है। ख.न. 105/3 की भूमि काबिल काश्त भूमि नही है।ख.न.105/3 की भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है। पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट पक्षकारान की गैर मौजूदगी में बनायी है। रेस्पोडेण्ट तथा उसके पूर्वज ग्राम घांसडी मे निवास ना कर मोहल्ला पीली तलाई टोंक मे निवास करते है। पटवारी हल्का ने अपीलांट्स के विरूद्व गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलांट्स का खसरा नम्बर 105/3 पर कभी भी कब्जा नही रहा है।

परन्तु पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 15.02.2023 मे अपीलांट्स ने सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है,शेष भूमि मे नाला/खाल एंव सरकारी एनिकट भी है का उल्लेख है। खसरा नम्बर 105/3 के साबिक खसरा नम्बर कितने थे,पत्रावली पर रिकार्ड नही है। ख.न. 105/3 की भूमि में ग्राम पंचायत ने अपने बजट/खर्चे पर एनिकट का निर्माण करवाया गया हो के भी

जिला कलेक्टर
टोंक

दस्तावेजात नही है। नकल जमाबंदी सम्वंत 2072–2075 वाके ग्राम घासडी मे खसरा नम्बर 105/3 कि किस्म बारानी–2 अंकित है। यह जरूरी नही है कि जिस ग्राम मे भूमि हो खातेदार उसी ग्राम मे निवास करे।

अभिभाषक अपीलांट्स ने यह भी कथन किया है कि गोपी पुत्र कल्याण को दिनाक 10.12.1975 को ख.न. 105/4 मे 8 बीघा भूमि का आवंटन नियमानुसार नही हुआ है। अपीलांट्स नियमानुसार न्यायालय हाजा मे उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेंतु 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है और इस आवंटन बाबत न्यायालय हाजा मे 14(4) का प्रार्थना पत्र विचाराधीन भी है तो उस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर विधिसम्वत निर्णय पारित करेगा। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस मे उक्त भूमि पर अपीलांट्स द्वारा सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है,परन्तु तहसीलदार टोंक ने अपने पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 14.12.2023 से खसरा नम्बर 105/3 रकबा 2.0234 हे. मे से 0.2030 है. का कब्जा/अतिक्रमण हटाने के संबंध मे उक्त भूमि का वर्तमान मौका निरीक्षण किया गया। उक्त भूमि वर्तमान मे मौके पर खाली है कि रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति मे भूमि की वर्तमान भौतिक स्थिति पर विरोधाभास पैदा होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अभिभाषक अपीलांटस का यह भी तर्क रहा हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की वास्तविक स्थिति के बारे में तथा कब्जे की भौतिक स्थिति के बारे में किसी प्रकार वास्तविक जांच नहीं की है, केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त रिपोर्ट का गलत निष्कर्ष निकालकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार की जाती है कि निर्णय से पहले पुनः मौका रिपोर्ट की आवश्यकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.07.2023 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड तथा मौके की वास्तविक स्थिति तथा कब्जे की भौतिक स्थिति के बारे में स्वंय जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक